FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[...]ज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द , जिला भीलवाडा

ललित........बनाम..........राजस्थान सरकार

[...]स्म मुकदमा......151 सी.पी.सी   नं...... 194........सन्...... 2021

[...]ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.11.2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रकरण में प्रार्थीगण ने बिलानाम आ.नं.5357/2082 में से रास्ता चाहा गया। क्योंकि उक्त समय आराजी नम्बर तरमीम नहीं थी जबकि निर्णय के बाद आराजी में बटा नम्बर की तरमीम हो गयी तथा वहां आराजी नम्बर 2082 है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निर्णय में आराजी नम्बर 5357/2082 को संशोधित कर आराजी नम्बर 2082 किये जाने का आदेश प्रदान कराने बाबत् निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णित मूल पत्रावली संख्या144/2021 को तलब किया गया। मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम ब्राह्मणों की सरेरी के बिलानाम आ.नं.5357/2082 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि में से रास्ता चाहा गया है तथा उक्त भूमि से ही रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का ब्राह्मणों की सरेरी से मूल नक्शा लट्ठा तलब किया गया। मूल लट्ठे नक्शे की स्थिति ठीक नहीं होने से आराजी नम्बर की पहचान नहीं हो सकी। वस्तुतः प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि के आ.नं. 2082 रकबा 1.43 हैक्टर किस्म बंजड़ है। अतः न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 144/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2021 में संशोधन किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः उक्त आदेश में जहां जहां पर भी आ.नं.5357/2082 रकबा 2.10 हैक्टर उल्लिखित है वहां आ.नं.2082 रकबा 1.43 हैक्टर संशोधित किये जाने के आदेश किये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार आसीन्द को लिखा जावें। पत्रावली आज दिनांक 23.11.2021 को फै[...] होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की जावें [...] गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2022.01.13 13:42:14 IST Reason: SelfAttested संदीप कुमार सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द	